कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उतपादन-शाखा), म.प्र., भोपाल

....

क्रमांक/एफ/05/04/सम/लवउ./3764 भोपाल, दिनांक 17/09/2004

प्रति

समस्त वन मण्डलाधिकारी (सामान्य)
मध्य प्रदेश

विषय :- अनुज्ञा पत्र (ट्रांजिट पास) के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ.28/1/2003/10-3, दिनांक 24/06/2003.

----0----

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ.28/1/2003/10-3, दिनांक 24/06/2003 द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव, उत्पाद, तेंदूपत्ता, सालबीज तथा कुल्लु गोंद को छेड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वन उपज को म.प्र. अभिवहन (वनउपज) नियम 2003 प्रवर्तन से छूट दी गई है। अत- आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक बेरियर पर बोर्ड लगाकर जनहित में सूचित करें कि काष्ठ, खनिज, वन्य जीव, उत्पाद, तेंदूपत्ता, सालबीज तथा कुल्लु गोंद को छेड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वन उपज को म.प्र. अभिवहन (वनउपज) नियम 2003 प्रवर्तन से छूट दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु जिन प्रजातियों में टी.पी. की आवश्यकता है, की सूची संलग्न है। कृपया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें, ताकि वनोपज के व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

नि.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ/05/04/सम/लवउ./3765 भोपाल, दिनांक

17/09/2004

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/वनो./टा./फो./04/11752 दिनांक 26.08.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नि.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000

के अंतर्गत

केवल निम्न वनोपज पर ट्रांजिट पास की आवश्यकता है

1. खनिज
2. वन्य जीव उत्पाद
3. काष्ठ
4. तेन्दूपत्ता
5. साल बीज
6. कुल्लु गोंद

वनमंडलाधिकारी

....